उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1973]

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 13 दिसम्बर, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 18 जनवरी, 1973 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1973 ई० को प्रकाशित हुआ।)

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

(2) यह दिनांक 24 नवम्बर, 1972 को प्रभावी हुआ समझा जायगा।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 14 दिसम्बर, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

अध्याय 2

यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 का संशोधन

यू० पी० ऐक्ट संख्या 26, 1947 की धारा 11-ग के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

2—यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947, जिसे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11-ग के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"11-ग—उप-प्रधान का निर्वाचन और उसका कार्यकाल—

(1) उप-प्रधान गांव पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों में से ऐसी रीति से निर्वाचित किया जायगा जो नियत की जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि गांव पंचायत तदर्थ नियमों द्वारा या उसके अधीन नियत समय के भीतर उप-प्रधान को इस प्रकार निर्वाचित करने में चूक करे तो नियत प्राधिकारी गांव पंचायत के किसी सदस्य को उप-प्रधान नाम-निर्दिष्ट कर सकता है, और इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया समझा जायगा।

(2) उप-प्रधान का कार्यकाल, चाहे वह उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पूर्व अथवा पश्चात्, निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट हुआ हो, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या नाम-निर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होगा, और जब तक कि उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्यथा समाप्त न कर दिया जाय, गांव पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा।

(3) उप-प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में धारा 14 के उपबन्ध, इस प्रकार कि गांव सभा तथा प्रधान के प्रति निर्देशों के स्थान पर क्रमशः गांव पंचायत तथा उप-प्रधान के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित हो जायेंगे, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे प्रधान को हटाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

धारा 11-घ का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11-घ में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, और सदैव से ही रखा गया समझा जाये, अर्थात्:—

"(क) गांव सभा का प्रधान तथा गांव पंचायत का सदस्य अथवा न्याय पंचायत का पंच न होगा;"

धारा 12 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 12 में,

(1) उपधारा (7) में, द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाये, अर्थात्:—

"उनकी संख्या उतनी होगी जो नियत की जाय।"

(2) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, और सदैव से ही रखी गयी समझी जाये, अर्थात्:—

"(11) गांव सभा के प्रधान तथा उप-प्रधान गांव पंचायत के क्रमशः पदेन प्रधान तथा उप-प्रधान होंगे और उन्हें गांव पंचायत की कार्यवाहियों में बोलने तथा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा। तथापि, प्रधान गांव पंचायत का सदस्य नहीं समझा जायगा और वह मत देने का हकदार नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि गांव पंचायत के समक्ष किसी प्रस्ताव या संकल्प की दशा में, जिसके अन्तर्गत कोई निर्वाचन नहीं आता, मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, न कि किसी अन्य दशा में, प्रधान का निर्णायक मत होगा।"

धारा 12-ज के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5—मूल अधिनियम की धारा 12-ज के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"12-ज—यदि गांव पंचायत के प्रधान, उप-प्रधान या किसी सदस्य का पद उसकी मृत्यु हो जाने, उसे हटाये जाने, उसके पद-त्याग करने, निर्वाचन का परिवर्तन करने अथवा पद की शपथ लेने से इन्कार करने के कारण रिक्त हो जाय तो यथासम्भव उसे उसके शेष कार्य-काल के लिए, यथास्थिति, धारा 11-ख, 11-ग, या 12 म, उपबन्धित रीति से भरा जायगा।"

नयी धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"14-क—बहिर्गामी प्रधान का गांव सभा के अभिलेख तथा धनराशि देने का दायित्व—

(1) यदि कोई व्यक्ति प्रधान के रूप में अपना पद रिक्त करने पर गांव सभा के सभी अभिलेख तथा धनराशि अपने उत्तराधिकारी अथवा नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को जानबूझ कर देने में चूक करेगा तो वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोई ऐसी धनराशि नियत प्राधिकारी द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।"

धारा 28-क के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 28-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"28-क—(1) प्रत्येक गांव सभा की गांव पंचायत भूमि-प्रबन्धक समिति भी होगी और इस रूप में वह उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा की या उसमें निहित अथवा उसके द्वारा धृत सभी सम्पत्ति के रख-रखाव, संरक्षण तथा पर्यवेक्षण सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन करेगी।

(2) प्रधान तथा उप-प्रधान भूमि-प्रबन्धक समिति के क्रमशः सभापति तथा उप-सभापति होंगे, और गांव सभा की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का, लेखपाल उसका सेक्रेटरी होगा।"

धारा 28-ख का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 28-ख में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) भूमि-प्रबन्धक समिति पर, गांव सभा के लिए तथा उसकी ओर से धारा 28-क में अभिदिष्ट समस्त सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, के सामान्य प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियन्त्रण का भार होगा—

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध किन्तु इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 के अधीन अथवा उक्त अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन गांव सभा में तत्समय निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण नहीं है;
(ख) वन तथा वृक्षों का परिरक्षण, अनुरक्षण तथा विकास;
(ग) आबादी-स्थलों तथा ग्राम संचार साधनों का अनुरक्षण और विकास;
(घ) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;
(ङ) मीनाशयों और तालाबों का अनुरक्षण तथा विकास;
(च) जोत-चकबन्दी में सहायता देना;
(छ) गांव सभा द्वारा या उसके विरुद्ध समिति के कृत्यों से सम्बद्ध अथवा उनसे उद्भूत होने वाले वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन;
(ज) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 अथवा किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन भूमि-प्रबन्धक समिति को विशेषतः अभ्यर्पित कृत्यों का सम्पादन; और
(झ) ऐसे प्रबन्ध, परिरक्षण तथा नियन्त्रण से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जो नियत किया जाय;

और वह गांव सभा की उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो ऐसे कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों।"

धारा 30 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(3) यदि नियत प्राधिकारी ऐसा निदेश दे तो दो या उससे अधिक गांव सभायें धारा 15 और 16 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कृत्यों का संयुक्त रूप से निर्वहन करने के लिए इस धारा के अधीन संयुक्त समिति नियुक्त करेंगी।"

धारा 36 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"36—उधार लेने की शक्ति—कोई गांव सभा राज्य सरकार से अथवा नियत प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायं, विधि द्वारा स्थापित किसी वित्तीय निगम अथवा किसी अनुसूचित बैंक या उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक अथवा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक से इस अधिनियम के किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि उधार ले सकती है।"

धारा 37 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 37 में—

(1) प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात्:—

"कोई गांव सभा निम्नलिखित सभी या कोई कर, शुल्क तथा फीसें लगा सकती है, अर्थात्,—"

(2) उपधारा (1) में खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायं, अर्थात्—

उ० प्र० अधिनियम संख्या 1, 1951
उ० प्र० अधिनियम संख्या 11, 1956
उ० प्र० अधिनियम संख्या 17, 1960

"(क) उन क्षेत्रों में जहां उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, जौनसार-बावर जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 अथवा कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी-विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 के अधीन मध्यवर्तियों के अधिकार, आगम और स्वत्व अर्जित कर लिये गये हों, भूमि पर उसके लिए देय अथवा देय समझी जाने वाली भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया पच्चीस पैसे से अनधिक कर लगा सकती है:

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जिसके द्वारा उसके लिए भू-राजस्व देय हो अथवा देय समझा जाय, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो;

(ख) खंड (क) में अभिदिष्ट क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में भौमिक अधिकार से सम्बन्धित प्रवृत्त विधि के अधीन किसी काश्तकार द्वारा, वह कुछ भी कहलाता हो, देय भू-राजस्व की धनराशि पर प्रति रुपया पच्चीस पैसे से अनधिक कर लगा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि भूमि पर उस व्यक्ति से जो उसके लिए भू-राजस्व का देनदार हो, भिन्न व्यक्ति वास्तव में कृषि करता हो तो कर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जो उस पर वास्तव में कृषि करता हो।"

धारा 43 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 43 की उप-धारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि पंचायत के पंच होने के लिये वांछित संख्या में गांव पंचायत के सदस्य उपलब्ध न हों, तो नियत प्राधिकारी के लिये यह विधि-सम्मत होगा कि वह इस प्रकार हुई रिक्तियों को, यदि कोई हों, पूर्ति गांव सभा के अन्य सदस्यों में से नामांकन द्वारा कर दे।"

धारा 95 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 95 में, उपधारा (1) में—

(1) खंड (छ) के प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात :—

"(छ) गांव पंचायत या संयुक्त समिति या भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को, गांव सभा के किसी पदाधिकारी को अथवा न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच या सरपंच को हटा सकती है, यदि—";

(2) खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (छछ) रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(छछ) प्रधान या उप-प्रधान या गांव पंचायत या संयुक्त समिति अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के किसी सदस्य को या न्याय पंचायत के किसी पंच, सहायक सरपंच अथवा सरपंच को जिसके विरुद्ध खण्ड (छ) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हों अथवा अपेक्षित हों या जिसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिए अभियोग चलाया जाना विचाराधीन हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, निलम्बित कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस खण्ड के अधीन निलम्बन के आदेश से, यथास्थिति, प्रधान या उप-प्रधान के धारा 14 के अधीन बुलाई गई बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने और ऐसी बैठक में मत देने के अधिकार पर, यदि कोई हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(3) अंत में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि—

(1) खण्ड (च), खण्ड (छ) या खण्ड (ज) के अधीन कोई कार्यवाही सम्बद्ध निकाय अथवा व्यक्ति को, प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं;

(2) खण्ड (छछ) के अधीन कोई कार्यवाही इस आधार पर कि खण्ड (छ) के अधीन कार्यवाहियां विचाराधीन हैं या अपेक्षित हैं, तब तक न की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार का प्रथम-दृष्टया यह समाधान न हो जाय कि वे आधार, जिन पर कि उस खण्ड के अधीन कार्यवाही प्रस्थापित है, विद्यमान हैं।"

धारा 110 का संशोधन ।

14—मूल अधिनियम की धारा 110 में—

(1) उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार इस अधिनियम क प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।"

(2) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित कुल तीस दिन की अवधि पर्यंत रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, 1961 की धारा 4 का संशोधन

15—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द, "जब तक कि नये खण्ड में क्षेत्र समिति कार्य करना प्रारम्भ न कर दें" के स्थान पर शब्द "जब तक कि नये खण्ड के लिए क्षेत्र समिति संघटित न हो जाय" रख दिये जायं।

धारा 5 का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(1) राज्य सरकार, प्रत्येक खंड के लिए क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन की गजट में विज्ञापित करेगी जिसका नाम उस खण्ड के नाम पर होगा। ऐसी विज्ञप्ति धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन क्षेत्र समिति की रचना पूरी हो जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र जारी की जायगी और उसमें वह दिनांक निर्दिष्ट होगा जब से क्षेत्र समिति संघटित या पुनस्संघटित हो जायगी।"

धारा 6 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रख दिया जाय, अर्थात् :—

"धारा 10 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के खण्ड (1), (2), (4) तथा (5) में उल्लिखित सदस्य, नियत शर्तों तथा रीति के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित को क्षेत्र समिति के सदस्य के रूप में अनुमोदित करेंगे, अर्थात्:—"

धारा 7 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(1-क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, प्रमुख तथा उप-प्रमुखों के पद के लिये निर्वाचन कराये जा सकते हैं भले ही क्षेत्र समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति हो अथवा धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) के अधीन किसी प्रतिनिधि के चयन में चूक हुई हो अथवा उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन किसी सदस्य के अनुमोदन में चूक हुई हो।"

धारा 8 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 8 में—

(1) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक क्षेत्र समिति का कार्यकाल धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति में उल्लिखित संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से प्रारम्भ होगा।"

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(3) क्षेत्र समिति के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल समिति के संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से अथवा उसके सदस्य होने के लिए हकदार बनने के दिनांक

से चाहे वह पदेन हो या, यथास्थिति, उसके निर्वाचन या अनुमेलन के आधार पर हो, इनमें से जो भी दिनांक पश्चात्वर्ती हो, उससे प्रारम्भ होगा, और इस अधिनियम द्वारा की गई अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, समिति के कार्यकाल तक होगा।"

धारा 8-क का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 8-क में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) यदि प्रमुख या धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (3) या उपधारा (2) के अधीन किसी खण्ड (जिसे आगे इस उपधारा में मूल खण्ड कहा गया है) की क्षेत्र समिति का सदस्य ऐसे क्षेत्र से सम्बद्ध विधान सभा की निर्वाचन नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्टर्ड हो जो धारा 3 के अधीन—

(क) बाद को ऐसे किसी अन्य खण्ड में सम्मिलित कर लिया जाय जिसके लिये पहले से ही क्षेत्र समिति विद्यमान हो तो वह धारा 6, 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए भी, मूल खण्ड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या ऐसा सदस्य न रह जायगा और उस अन्य क्षेत्र समिति के शेष कार्यकाल के लिए उस अन्य खण्ड की क्षेत्र समिति का सदस्य हो जायगा ;

(ख) बाद में ऐसे नये खण्ड में सम्मिलित किया जाय जिसके लिये कोई क्षेत्र समिति संघटित न की गई हो तो वह धारा 6, 7, 8 और 9 में किसी बात के होते हुए भी, मूल खण्ड की क्षेत्र समिति का प्रमुख या ऐसा सदस्य तब तक जब तक कि उसका कार्यकाल समाप्त न हो जाय अथवा जब तक कि उस नये खण्ड के लिए क्षेत्र समिति संघटित न हो जाय, इसमें जो भी पूववर्ती हो, बना रहेगा।"

(2) उपधारा (2) में शब्द तथा अंक "धारा 4 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 3 के अधीन" रख दिये जायं।

धारा 9 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 9 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(2) सिवाय उन मामलों में जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई है, जिला मजिस्ट्रेट प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों के निर्वहन के लिए, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकता है जिसे वह उचित समझे।"

धारा 10 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 10 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रथम तथा प्रत्येक अनुवर्ती कार्यकाल की समाप्ति पर या जब इस अधिनियम के अधीन अन्यथा अपेक्षित हो" के स्थान पर शब्द "उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो" रख दिये जायं ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "किसी खंड की क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "अथवा संसद या राज्य विधान मंडल की सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों का अनुमेलन करने में तथा पूर्वोक्त किसी रिक्ति के होने या धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (3) के अधीन प्रतिनिधि को चुनने में चूक होने या उक्त धारा की उपधारा (2) में सदस्यों के अनुमेलन में चूक होने से क्षेत्र समिति के संघटन या पुनस्संघटन में बाधा न पड़ेगी" रख दिये जायं।

धारा 17 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए जिला परिषद् क संघटन या पुनस्संघटन को गजट में विज्ञापित करेगी जिसका नाम उस जिले के नाम पर होगा। ऐसी विज्ञप्ति धारा 22 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जिला परिषद् की धारा 18 की उपधारा (1) और (2) के अधीन रचना पूरी हो जाने के पश्चात् जारी की जायगी और उसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट होगा जब से जिला परिषद् संघटित या पुनस्संघटित हो जायगी।"

धारा 18 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 18 में—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (4) में, उपखण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिय जायं, अर्थात् :—

"(क) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक या यदि किसी जिले में एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक हों तो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया किसी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक का अध्यक्ष या प्रशासक अथवा यदि जिले में ऐसा कोई बैंक न हो तो सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, यदि कोई हो, का अध्यक्ष या प्रशासक, अथवा यदि इनमें से कोई भी न हो तो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का, प्रतिनिधि जो उसके निदेशक-मंडल द्वारा चुना जाए;

(ख) डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव फेडरेशन का अध्यक्ष ;";

(2) उपधारा (2) में शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) में उल्लिखित सदस्य" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) के खंड (1), (2), (3), (5), (6) तथा (7) में उल्लिखित सदस्य" रख दिये जायं।

धारा 19 का संशोधन

25--मूल अधिनियम की धारा 19 में--

(1) उपधारा (1) में उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिये जायं, अर्थात् :

"प्रतिबन्ध यह है कि सिवाय उन दशाओं में जिनके लिए धारा 21 में अन्यथा व्यवस्था की गई है, राज्य सरकार अध्यक्ष के निर्वाचन तक अध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन के लिये, आदेश द्वारा, ऐसा प्रबन्ध कर सकती है, जिसे वह उचित समझे।"

(2) उप-धारा (1) के उपरांत निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(1-क) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद के लिये निर्वाचन कराये जा सकते हैं भले ही जिला परिषद् की सदस्यता में कोई रिक्ति हो या धारा 18 की उपधारा (1) के खण्ड (2), खंड (4) या खंड (5) के अधीन प्रतिनिधि के चुनने से चूक हुई हो या उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन किसी सदस्य के अनुमेलन में चूक हुई हो।"

धारा 20 का संशोधन

26--मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(1) उपधारा (2) निकाल दी जाय;

(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(3) जिला परिषद् के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन के दिनांक से अथवा उसके सदस्य होने के लिए हकदार बनने के दिनांक से, चाहे वह पदेन हो या यथास्थिति, उसके निर्वाचन या अनुमेलन के आधार पर हो, इसमें से जो भी दिनांक पश्चात्वर्ती हो, उससे प्रारम्भ होगा और इस अधिनियम द्वारा की गयी अन्यथा व्यवस्था के सिवाय, परिषद् के कार्यकाल तक होगा।"

धारा 22 का संशोधन

27--मूल अधिनियम की धारा 22 में--

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्:—
"(1) राज्य सरकार वर्तमान जिला परिषद् के, यदि कोई हो, कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व अथवा जब कभी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अन्यथा अपेक्षित हो, जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन का प्रबन्ध करेगी।"

(2) उप-धारा (2) में शब्द "जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन सदस्यों के अनुमेलन में कोई बाधा न पड़ेगी और उपरोक्त किसी रिक्ति के होने या उप-धारा (1) के खण्ड (2), खण्ड (4) या खण्ड (5) के अधीन सदस्य को चुनने में चूक होने या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के अनुमेलन में चूक होने से जिला परिषद् के संघटन या पुनस्संघटन में कोई बाधा न पड़ेगी।" रख दिये जायं।

धारा 237 का संशोधन

28--मूल अधिनियम की धारा 237 में--

(1) उप-धारा (1) में शब्द "नियम बना सकती है" के स्थान पर शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है" रख दिये जायं ;

(2) उप-धारा (2) में शब्द "ऐसा कोई नियम पूर्व प्रकाशन के बाद ही बनाया जायगा और तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह गजट में प्रकाशित न हो जाय", निकाल दिये जायं;

(3) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रख दी जाय, अर्थात्:—

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथा-शक्यशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित, कुल तीस दिन की अवधि पर्यंत रखे जायेंगे, और जबतक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20, 1972 का निरसन

29--उत्तर प्रदेश ग्राम्यं स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 3 जन० (लेग०) (हिन्दी)--1973--1,834+50 (मे०)

THE UTTAR PRADESH RURAL LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1973

[U. P. ACT No. 3 OF 1973]

[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Gramya Swayatta Shashan Veedhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973]

AN

ACT

further to amend the U. P. Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follow :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title and commencement.

1. (i) This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1973.

(ii) It shall be deemed to have come into force on November 24, 1972.

CHAPTER II

Amendment of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947

Substitution of new section for section 11-C of U. P. Act XXVI of 1947.

2. *For* section 11-C of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

'11-C. *Election of Up-Pradhan and his term*—

(1) The Up-Pradhan shall be elected by the members of the Gaon Panchayat from amongst themselves in such manner as may be prescribed:

Provided that if a Gaon Panchayat fails to so elect an Up-Pradhan within the time fixed by or under the rules in that behalf, the prescribed authority may nominate as Up-Pradhan any member of the Gaon Panchayat, and the person so nominated shall be deemed to have been duly elected.

(2) The term of office of the Up-Pradhan whether elected or nominated before or after the commencement of the Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1972, shall commence from the date of his election or nomination, as the case may be, and unless otherwise determined under the provisions of this Act, shall expire with the term of the Gaon Panchayat.

(3) The provisions of section 14 shall apply to the removal of Up-Pradhan as they apply to the removal of Pradhan with the substitution of references to Gaon Sabha and Pradhan by references to Gaon Panchayat and Up-Pradhan respectively."

Amendment of section 11-D.

3. In section 11-D of the principal Act, *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"(*a*) be the Pradhan of the Gaon Sabha and a member of the Gaon Panchayat or a Panch of the Nyaya Panchayat:".

Amendment of section 12.

4. In section 12 of the principal Act,—

(i) in sub-section (7) *for* the second sentence the following sentence shall be *substituted*, and be deemed always to have been *substituted*, namely :—

"Their number shall be such as may be prescribed."

*[For Statement of Objects and Reasons, please *see* Uttar Pradesh *Gazette (Extraordinary)*, dated December 14, 1972]

†[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on December 13, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 18, 1973),

[Received the Assent of the Governor on January 22, 1973 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the Uttar Pradesh *Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1973].

(ii) *after* sub-section (10), the following sub-section shall be *inserted*, and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"(11) The Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Sabha shall respectively be, *ex officio*, Pradhan and Up-Pradhan of the Gaon Panchayat and shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Gaon Panchayat. The Pradhan shall not, however, be deemed to be a member of the Gaon Panchayat and shall not be entitled to vote:

Provided that in the case of a motion or resolution before the Gaon Panchayat, but excluding any election, the Pradhan shall in the case of equality of votes and in no other case have a casting vote."

Substitution of new section for section 12-H.

5. *For* section 12-H of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"12-H. If a vacancy in the office of Pradhan, Up-Pradhan or of a member of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, removal, resignation, avoidance of his election or refusal to take oath of office, it shall be filled for the remainder of his term in the manner, as far as may be, provided in sections 11-B, 11-C or 12, as the case may be."

Insertion of new section 14-A.

6. *After* section 14 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"14-*A*. *Outgoing Pradhan's obligation to deliver records and money of Gaon Sabha*—(1) If any person on the vacation of his office as Pradhan wilfully fails to hand over all records and money of the Gaon Sabha to his successor or to any person authorised in this behalf by the prescribed authority, he shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or with fine or with both.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), any such money may on a certificate issued in that behalf by the prescribed authority be recovered as arrears of land revenue."

Substitution of new section for section 28-A.

7. *For* section 28-A of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The Gaon Panchayat of every Gaon Sabha shall also be the Bhumi Prabandhak Samiti and as such discharge the duties of up-keep, protection and supervision of all property belonging to or vested in or held by the Gaon Sabha under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or under any other provision of that Act.

(2) The Pradhan and Up-Pradhan shall respectively be the Chairman and the Vice-Chairman of the Bhumi Prabandhak Samiti, and the Lekhpal of the area comprised in the jurisdiction of the Gaon Sabha shall be its Secretary."

Amendment of section 28-B.

8. In section 28-B of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"28-B. (1) The Bhumi Prabandhak Samiti shall for and on behalf of the Gaon Sabha, be charged with the general management, preservation and control of all property referred to in section 28-A including—

(*a*) the settling and management of land but not including the transfer of any property for the time being vested in the Gaon Sabha under section 117 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or under any other provision of that Act;

(*b*) the preservation, maintenance and development of forests and trees ;

(*c*) the maintenance and development of *abadi* sites and village communications ;

[(*d*) the management of *hats*, *bazars* and *melas*;

(*e*) the maintenance and development of fisheries and tanks;

(*f*) the rendering of assistance in the consolidation of holdings;

(*g*) the conduct and prosecution of suits and proceedings by or against the Gaon Sabha relating to or arising out of the functions of Samiti;

(*h*) the performance of functions specifically assigned to the Bhumi Prabandhak Samiti under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 or any other enactment; and

(*i*) any other matter relating to such management, preservation and control as may be prescribed;

and may exercise all powers of the Gaon Sabha necessary for or incidental to the discharge of such duties."

Amendment of section 30.

9. In section 30 of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(3) Where the prescribed authority so directs, two or more Gaon Sabhas shall appoint a Joint Committee under this section for the joint discharge of any of the functions specified in sections 15 and 16."

Substitution of new section for section 36.

10. *For* section 36 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"36. *Power to borrow*—A Gaon Sabha may borrow money from the State Government or with the prior sanction of the prescribed authority and subject to such conditions as may be prescribed from any financial corporation established by law or any scheduled bank or the Uttar Pradesh Co-operative Bank or a District Co-operative Bank to carry out any of the purposes of this Act."

Amendment of section 37.

11. In section 37 of the principal Act, in sub-section (1)—

(i) *for* the opening paragraph, the following paragraph shall be *substituted*, namely :—

"A Gaon Sabha may levy all or any of the following taxes, rates and fees, namely,—"

(ii) *for* clauses (*a*) and (*b*), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) in areas where the right, title and interest of intermediaries have been acquired under the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the Jaunsar-Bawar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 or the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, a tax on land not exceeding twenty-five paise in a rupee on the amount of land revenue payable or deemed to be payable therefor :

Provided that where the land is in the actual cultivation of a person other than the person by whom the land revenue therefor is payable or deemed to be payable, the tax shall be payable by the person in actual cultivation ;

(*b*) in areas other than those referred to in clause (*a*), a tax on land revenue not exceeding twenty-five paise in a rupee on the amount of land revenue payable by a tenant, by whatever name called, under the law in force relating to land tenures :

Provided that where the land is in the actual cultivation of the person other than the person liable to pay land revenue therefor, the tax shall be payable by the person in actual cultivation of such land."

Amendment of section 43.

12. In section 43 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that if the requisite number of members of a Gaon Panchayat are not available for being Panches of the Nyaya Panchayat, it shall be lawful for the prescribed authority to fill in any seat so remaining vacant by nomination from amongst other members of the Gaon Sabha."

Amendment of section 95.

13. In section 95 of the principal Act, in sub-section (1),—

(i) in clause (*g*) *for* the opening paragraph, the following paragraph shall be *substituted*, namely :—

"(*g*) remove a member of a Gaon Panchayat or a Joint Committee or Bhumi Prabandhak Samiti, an office-bearer of a Gaon Sabha or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat if he—"

(ii) *after* clause (*g*), the following clause (*gg*) shall be *inserted*, namely:—

"(*gg*) suspend a Pradhan or Up-Pradhan or a member of a Gaon Panchayat or Joint Committee or Bhumi Prabandhak Samiti or a Panch, Sahayak Sarpanch or Sarpanch of a Nyaya Panchayat against whom proceedings under clause (*g*) are pending or contemplated or against whom prosecution for an offence, which in the opinion of the State Government involves moral turpitude, is pending:

Provided that an order of suspension under this clause shall not affect the right, if any, of the Pradhan or the Up-Pradhan, as the case may be, to take part in the proceedings of a meeting convened under section 14 and to vote at such meeting."

(iii) at the end, the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided that—

(i) no action shall be taken under clause (*f*), clause (*g*) or clause (*h*) except after giving to the body or person concerned a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed;

(ii) no action shall be taken under clause (*gg*) on the ground that proceedings under clause (*g*) are pending or contemplated unless the State Government is *prima facie* satisfied that the grounds on which action is proposed under that clause exist."

Amendment of section 110.

14. In section 110 of the principal Act,—

(i) *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The State Government may by notification in the *Gazette* make rules for carrying out the purposes of this Act."

(ii) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the State Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

CHAPTER III

Amendment of Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961

Amendment of section 4 of U. P. Act No. 33 of 1961.

15. In section 4 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in the proviso thereto, *for* the words "until a Kshettra Samiti starts functioning in the new Khand", the words "until a Kshettra Samiti is constituted for the new Khand" shall be *substituted*.

16. In section 5 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 5.

"(1) The State Government shall notify in the *Gazette* the constitution or reconstitution of the Kshettra Samiti for each Khand bearing the name of the Khand. Such notification shall be issued as soon as may be after the composition of the Kshettra Samiti is, subject to the provisions of sub-section (2) of section 10, completed under sub-sections (1) and (2) of section 6 and shall specify the date from which the Kshettra Samiti shall stand constituted or re-constituted."

17. In section 6 of the principal Act, in sub-section (2) *for* the opening paragraph the following paragraph shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 6.

"Subject to the provisions of sub-section (2) of section 10, the members mentioned in clauses (i), (ii), (iv) and (v) of sub-section (1) shall, subject to the conditions and in the manner prescribed, co-opt the following as members of the Kshettra Samiti, namely:"—

18. In section 7 of the principal Act, *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely : Amendment of section.

"(1-A) Notwithstanding anything in sub-section (1), the elections to the offices of Pramukh and Up-Pramukhs may be held notwithstanding and vacancy in the membership of the Kshettra Samiti or the failure to choose any representative under clause (iii) of sub-section (1) of section 6 or the failure to co-opt any member under sub-section (2) of that section."

19. In section 8 of the principal Act,— Amendment of section 8

(i) *for* sub-section (2) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(2) The term of each Kshettra Samiti shall commence on the date of its constitution or re-constitution specified in the notification issued under sub-section (1) of section 5.";

(ii) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) The term of office of each member of the Kshettra Samiti shall commence on the date of its constitution or re-constitution or the date of his being entitled to be a member either *ex officio* or by virtue of his election or, as the case may be, co-option whichever be later, and shall, save as otherwise provided by this Act, extend up to the term of the Samiti."

20. In section 8-A of the principal Act,— Amendment of section 8-A.

(i) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Where a Pramukh or a member under clause (iii) of sub-section (1) or under sub-section (2) of section 6 of the Kshettra Samiti of a Khand (hereinafter in this sub-section referred to as the original Khand) was registered as an elector in the Assembly Rolls relatable to the area which under section 3—

(*a*) is subsequently included in another Khand for which a Kshettra Samiti already exists, he shall, notwithstanding anything contained in sections 6, 7, 8 and 9 cease to be Pramukh or such member of the Kshettra Samiti of the original Khand and become a member of the Kshettra Samiti of that other Khand for the residue of the term of that other Kshettra Samiti;

(*b*) is subsequently included in a new Khand for which no Kshettra Samiti has been constituted, he shall, notwithstanding anything contained in sections 6, 7, 8 and 9, continue to be Pramukh or such member of the Kshettra Samiti of the original Khand until the expiration of his term or until the constitution of a Kshettra Samiti for that new Khand, whichever be earlier.";

(ii) in sub-section (2), *for* the words and figure "under section 4" the words and figure "under section 3" shall be *substituted*.

Amendment of section 9.

21. Section 9 of the principal Act shall be *re-numbered* as sub-section (1) thereof and *after* sub-section (1) as so *re-numbered*, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) Except in cases otherwise provided for in sub-section (1), the District Magistrate may by order make such arrangements as he thinks fit for the discharge of the functions of the Pramukh till a Pramukh is elected."

Amendment of section 10.

22. In section 10 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1) *for* the words "on the expiry of the first and each subsequent term or when otherwise required under this Act", the words "before the expiry of its term or when otherwise required for the purposes of this Act" shall be *substituted*;

(*b*) in sub-section (2), *for* the words "shall be no bar to the constitution or re-constitution of the Kshettra Samiti of a Khand", the words, figures and brackets "or a vacancy in the membership of Parliament or of the State Legislature shall be no bar to the co-option of members under sub-section (2) of section 6 and the existence of any such vacancy as aforesaid or the failure to choose any representative under clause (iii) of sub-section (1) of section 6 or the failure to co-opt any member under sub-section (2) of that section shall be no bar to the constitution or re-constitution of the Kshettra Samiti" shall be *substituted.*

Amendment of section 17.

23. In section 17 of the principal Act, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(1) The State Government shall notify in the *Gazette* the constitution or the re-constitution of the Zila Parishad for each district bearing the name of the district. Such notification shall be issued after the composition of the Zila Parishad is, subject to the provisions of sub-section (2) of section 22, completed under sub-sections (1) and (2) of section 18 and shall specify the date from which the Zila Parishad shall stand constituted or re-constituted."

Amendment of section 18.

24. In section 18 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in clause (iv), *for* sub-clauses (*a*) and (*b*), the following sub-clauses shall be *substituted*, namely:—

"(*a*) the Chairman or the Administrator of the District Co-operative Bank or where there are more than one District Co-operative Bank in a district, the Chairman or Administrator of a District Co-operative Bank nominated by the State Government, or in case there is no such bank in the district, the Chairman or the Administrator of the Central Co-operative Bank, if any, or in case there is neither of them, a representative of the Uttar Pradesh Co-operative Bank to be chosen by its Board of Directors;

(*b*) the Chairman of the District Co-operative Federation;";

(ii) in sub-section (2), *for* the words, figures and brackets "the members mentioned in sub-section (1)" the words, figures and brackets "the members mentioned in clauses (i), (ii), (iii), (v), (vi) and (vii) of sub-section (1)" shall be *substituted.*

Amendment of section 19.

25. In section 19 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), *for* the proviso thereto the following proviso shall be *substituted*, namely:—

"Provided that except in the cases otherwise provided for in section 21, the State Government may by order make such arrangements as it thinks fit for the discharge of the functions of the Adhyaksha till the Adhyaksha is elected."

(ii) *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(1-A) Notwithstanding anything in sub-section (1) the elections to the officers of Adhyaksha and Upaadhyaksha may be held notwithstanding any vacancy in the membership of the Zila Parishad or the failure to choose any representative under clause (ii), clause (i) or clause (v) of sub-section (1) of section 18, or the failure to co-opt any member under sub-section (2) of that section."

26. In section 20 of the principal Act,— Amendment of section 20.

(i) sub-section (2) shall be *omitted.*

(ii) *for* sub-section (3) the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(3) The term of office of each member of the Zila Parishad shall commence on the date of its constitution or re-constitution or the date of his being entitled to be a member, whether *ex officio* or by co-option, whichever be later, and shall, save as otherwise provided by this Act, extend up to the term of the Parishad."

27. In section 22 of the Principal Act,— Amendment of section 22.

(i) *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) The State Government shall arrange for the constitution or re-constitution of the Zila Parishad before the expiry of the term of the existing Zila Parishad, if any, or whenever otherwise required for the purposes of this Act." ;

(ii) in sub-section (2) *for* the words "shall be no bar to the constitution or re-constitution of the Zila Parishad", the words, figures and bracket "shall be no bar to the co-option of members under sub-section (2) of section 18 and the existence of any such vacancy as aforesaid or the failure to choose a member under clause (ii), clause (iv) or clause (v) of sub-section (1) or the failure to co-opt any member under sub-section (2) of the said section shall be no bar to the constitution or re-constitution of the Zila Parishad" shall be *substituted.*

28. In section 237 of the principal Act,— Amendment of section 237.

(i) in sub-section (1), *for* the words "may make rules", the words "may by notification in the *Gazette* make rules" shall be *substituted* ;

(ii) in sub-section (2), the words "and shall not be made except after previous publication and shall not take effect until the same has been published in the *Gazette*" shall be *omitted* ;

(iii) *for* sub-section (3), the following sub-section shall be *substituted* namely :—

"(3) All rules made under this Act shall, as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or amendments as the two Houses of the State Legislature may during the said period agree to make so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

29. The Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1972, is hereby repealed. Repeal of Ordinance 20 of 1972.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०—2 जनरल (लेग०)—1973—1852+50 (मे०) ।